संख्या : 1/बी-2-2800/दस-2014-10/77

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक : 24 सितम्बर, 2014

विषय : योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन तथा व्यय वित्त समिति की सदस्यता, कार्यक्षेत्र सम्बन्धी शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-8 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-8 के सम्बन्ध में कतिपय विभागों द्वारा जिज्ञासा प्रकट करते हुए व्यय के ऐसे प्रस्तावों जिनमें भारत सरकार में अप्रेजल की व्यवस्था नहीं है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है ।

2- उक्त के क्रम में शासनादेश दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-8 को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है -

प्रस्तर-8	स्पष्टीकरण
व्यय के ऐसे प्रस्तावों जिनमें केन्द्र सरकार का अंश 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, का परीक्षण पी.एफ.ए.डी. / व्यय वित्त समिति द्वारा नहीं किया जायेगा । ऐसे प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा जो केन्द्रांश अनुमन्य किया जायेगा, उसी के सापेक्ष समानुपातिक रूप से राज्यांश की स्वीकृति दी जा सकेगी ।	व्यय के ऐसे प्रस्तावों जिनमें केन्द्र सरकार का अंश 50 प्रतिशत या उससे अधिक है और परियोजना के अप्रेजल की व्यवस्था भारत सरकार में विद्यमान है तो ऐसे प्रस्तावों के पी.एफ.ए.डी. / व्यय वित्त समिति से मूल्यांकन (अप्रेजल) की आवश्यकता नहीं होगी । व्यय के ऐसे प्रस्तावों जिनमें भारत सरकार में अप्रेजल की व्यवस्था नहीं है, के प्रकरणों में शासनादेश दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-4 के अनुसार अप्रेजल एवं औचित्य के परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा । ऐसे प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा जो केन्द्रांश अनुमन्य किया जायेगा, उसी के सापेक्ष समानुपातिक रूप से राज्यांश की स्वीकृति दी जा सकेगी तथा ऐसी परियोजनाओं में सेन्टेज की देयता शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनाँक 25 जनवरी, 2011 के प्रस्तर-1(4) के अनुसार होगी ।

राहुल भटनागर

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या : 1/बी-2-2800(1)/दस-2014-10/77, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।
7 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ. प्र., लखनऊ ।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ. प्र., लखनऊ ।
9 तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in